


24/3/17

पत्र सं० कोषा० विधि-12/2015-2432-वि०(2)  
बिहार सरकार  
वित्त विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी  
शाखा-31/3/17/2112/Comptroller  
प्रेषक,



एच०आर०श्रीनिवास,  
सचिव (संसाधन) ।

सभी कोषागार पदाधिकारी,  
बिहार ।

दिनांक-31.03.2017 को कोषागारों में विपत्र/चेक प्राप्त करने के  
संबंध में ।

पटना, दिनांक- 30.3.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक 31.03.2017 को 5.00 बजे अपराह्न के बाद सरकारी संब्यवहार नहीं करता है । एजेन्सी बैंको द्वारा 5.00 बजे अपराह्न के बाद विपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है । कोषागार में प्राप्त विपत्रों/चेकों को पारित करने में प्रक्रियागत समय है एवं भुगतान भी करना होता है । इसीलिए आवश्यक है कि कोषागार से पारित विपत्र/चेक एडवाइस के साथ 5.00 बजे अपराह्न तक एजेन्सी बैंक में भेज दिये जाए ।

अतः निर्देश दिया जाता है कि दिनांक-31 मार्च, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक ही विपत्र स्वीकार किये जाए एवं 5.00 बजे अपराह्न तक सभी पारित विपत्र एजेन्सी बैंक को निश्चित रूप से प्रेषित कर दिये जाए ।

विश्वासगान्त,

(एच०आर०श्रीनिवास)  
सचिव(संसाधन) ।

कोषागार

जापांक- 2432  
प्रतिविधि- सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।  
दिनांक- 30.3.17

30/3

संश्लोक 253 : सचिव, दिनांक 30.3.17 (एच०आर०श्रीनिवास)  
जिला पटना विभाग पटना, प. अ. अ. ए. सचिव(संसाधन) ।

को सूचनाएं । उनसे अधिसूचना है कि इसे सचिव, प. अ. अ. ए. सचिव, बिहार  
जाने की छुटा की जाय ।  
Web site of

30.3.17  
कोषागार